राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सं0– 4379

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

जिला पदाधिकारी –सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पटना।

पटना दिनांक– 9.11.26

विषय :– **वाद संख्या 43/2025 नित्यानन्द शर्मा बनाम उदय शर्मा में सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्वान अधिवक्ताओं के अनुरोध पर आयोग में लम्बित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु नियमित सुनवाई भविष्य में प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार पूर्व निर्धारित तिथि 19.11.2026 को 03:30 बजे अपराह्न को संशोधित करते हुए **तिथि–18.11.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे** निर्धारित किया जाता है।

अनुरोध है कि उक्त वाद के सभी पक्षकारों को संशोधित तिथि एवं समय की सूचना प्रदान करने के साथ–साथ पत्र का तामिला 24 घंटे के अन्दर कराने की कृपा की जाए तथा तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक से प्रेषित किया जाए।

विश्वासभाजन

9/11/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक 9/1/20–43/25 4379 पटना पत्रांक 9.11.26

प्रतिलिपि– आई.टी. प्रबंधक, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि इस पत्र की प्रति सभी पक्षकारों के अवलोकनार्थ आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 06826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847] E-mail: secbihar@gmail.com
33

इस पत्र के सत्यापन हेतु क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करें।